



राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

क्रमांक:- मुसप्र/विलम्ब अवधि/2013/1374

दिनांक: 11/11/2013

--: कार्यालय आदेश ::--

बोर्ड द्वारा जारी आदेश क्रमांक मुसप्र/विलम्ब अवधि/2013/738 दिनांक 06.8.2013 एवं एफ2(3)लागत/304 दिनांक 14.8.2013 के क्रम में यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त जारी आदेश दिनांक 14.8.2013 द्वारा आवंटी को आवंटन/नीलामी में विक्रित सम्पत्ति की मांग राशि मण्डल द्वारा मांग पत्र जारी करने पर आवंटी / बोलीदाता द्वारा निर्धारित समय पर राशि जमा नही कराने पर समयावधि बढ़ाने हेतु आवंटी / बोलीदाता द्वारा आग्रह करने पर पूर्व में जारी मांग पत्र की बकाया राशि का 01% प्रक्रिया शुल्क (जो वापिस योग्य नही) निर्धारित किया गया है। जोकि उक्त पूर्व आदेश दिनांक 06.8.2013 के क्रम संख्या 01 के अनुसार EWS & LIG के आवंटी के लिए रूपये 2,000/-, MIG-A & MIG-B के लिए रूपये 5,000/- एवं HIG के लिए रूपये 10,000/- फीस के रूप में निर्धारित थे, के संशोधन में हैं।

उपरोक्तानुसार कार्यालय आदेश क्रमांक मुसप्र/विलम्ब अवधि/2013/738 दिनांक 06.8.2013 के क्रम संख्या 02 से 06 पर जारी निर्देश यथावत रहेंगे।

आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/वित्तीय सलाहकार, रा.आ.म., जयपुर।
- 2- मुख्य अभियन्ता/सचिव, रा.आ.म., जयपुर।
- 3- अति.मु. अभियन्ता, प्रथम/तृतीय एवं अध्यक्ष अवसायन समिति, रा.आ.म., जयपुर।
- 4- अति.मु. अभियन्ता, द्वितीय, रा.आ.म., जोधपुर/OSD/CEM/ जयपुर।
- 5- उप आवासन आयुक्त, वृत्त-I/II/III, जयपुर/जोधपुर -I/II/ उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर।
- 6- संयुक्त निदेशक, कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, रा.आ.म., जयपुर।
- 7- आवासीय अभियन्ता, खण्ड-I/II/III/IV/V/VI/VII/VIII/IX/X/XI/XII/XIII, रा.आ.म., जयपुर /PHE-I/II, जयपुर/जोधपुर-I/II/III/ उदयपुर-I/II/विद्युत खण्ड, जयपुर/अजमेर/भिवाडी/भरतपुर/झुन्झनू/डुंगरपुर/जैसलमेर/नागौर/बीकानेर/ कोटा/अलवर/पाली/बारां/दौसा/हनुमानगढ़/चित्तौड़गढ़।
- 8- सहायक लेखाधिकारी वृत्त- I/II/III, जयपुर/जोधपुर-I/II/उदयपुर/कोटा/अलवर/ बीकानेर।
- 9- सम्बन्धित पत्रावली।
- 10- रक्षित फाईल।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक